BHAGWAN BAKSH SINGH
DEGREE COLLEGE
(Affiliated to the University of Lucknow)

Ref. No. BBSDC/06/04/26 — 0 9 JUN 2026 — No. 6067 — Date. 09-06-2026

सेवा में,
श्रीमान् कुलसचिव
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ।

विषय : महाविद्यालय में बी.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता का विज्ञापन विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कराने के सम्बन्ध में निवेदन।

महोदय,

भगवान बक्श सिंह डिग्री कॉलेज, खुशी विहार, कनौसी, मानक नगर, लखनऊ में बी.बी.ए. पाठ्यक्रम में अस्टिेंट प्रोफेसर की आवश्यकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि महाविद्यालय का विज्ञापन विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें। आपकी महान कृपा होगी।

I/c 05 (websied)
Reg 10-6-26

सत्या सिंह
प्रबन्धिका
Manager
Bhagwan Baksh Singh Degree College * Lucknow *

Khushi Vihar, Kanausi, Manak Nagar, Lucknow - 226011
91-9511149922, 7985959958, 8601979999
bbsdegreecollegelucknow@gmail.com, bbsdc2021@gmail.com
www.bbsdegreecollege.org.in

कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007
(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या : R/92 /एन.ओ.सी./सम्ब.अनु./202

दिनांक : 19/01/2026

सेवा में,

प्रबन्धक,
भगवान बक्श सिंह डिग्री कालेज,
खुशी विहार, कनौसी, मानस नगर, लखनऊ।

विषय :नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2002, दिनांक 09.08.2012 में वर्णि प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त **भगवान बक्श सिंह डिग्री कालेज, खुशी विहार कनौसी, मानक नगर, लखनऊ में बी0बी0ए0 पाठ्यकम** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी गयी है जिनकी पूर्ति सहयुक्तता से पू अपेक्षित होगी :–

1. **संदर्भित पाठ्यकम का संचालन विश्वविद्यालय से सहयुक्तता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा सहयुक्तता/मान्यता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। यदि कोई महाविद्यालय सहयुक्तता प्राप्त किये बगैर प्रवेश की कोई कार्यवाही करेगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।**
2. उपर्युक्त पाठ्यकम की सहयुक्तता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान शासनादेश संख्या–3075/सत्त –2–2002–2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002, शासनादेश संख्या–3411/सत्तर–2–2002–2(166)/2002 दिनांक 11 अक्टूबर, 2002, शासनादेश संख्या–193/सत्तर–2–2003–2 (166)/2002, दिनांक 13 जनवरी, 2003 शासनादेश संख्या–585मु.म./सत्तर–2–2005–2 (166)/2002, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 तथा शासनादेश संख्या–743मु.मं./सत्तर–2–2006–2 (166)/2002, दिनांक 07 नवम्बर, 2006 तथा समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताएं पूर्ण कर लेगी।
3. संदर्भित संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो शासन से मांग करेगा और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी। संस्थान के किसी दायित्व से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा।
4. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, सहयुक्तता से पूर्व संस्थान द्वारा की जायेगी।
5. संदर्भित पाठ्यकम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सहयुक्तता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।
6. संदर्भित पाठ्यकम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू–अभिलेखों में उल्लिखित **कनौसी, मानक नगर लखनऊ स्थित भूमि गाटा संख्या : 1585, 1586, 1584, 1579 एवं 1583 कुल रकबा 5023 वर्गमीटर** में मानकानुसार निर्मित भवन में संचालित किया जायेगा। अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उक्त भूमि को सहयुक्तता के प्रस्ताव के पूर्व महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा।
7. ट्रस्ट/सोसाइटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगा और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया
Bmisla
(डॉ0 भावना मिश्रा)
कुलसचिव

संख्या : /एन.ओ.सी./सम्बद्धता/2026, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आशियाना, लखनऊ।
2. गार्ड फाईल।

कुलसचिव